न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 09/2015

1 गुलझारीलाल आयु 59 साल पुत्र नोरंग जाति ब्राह्मण निवासी सेही कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मिन्टू आयु 39 साल स्त्री अरूण जाति ब्राह्मण
2 निर्मला देवी आयु 36 साल स्त्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाट
3 सावित्री देवी आयु 56 साल स्त्री श्यामलाल जाति ब्राह्मण
4 कृष्ण कुमार आयु 36 साल पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण
निवासी सेही कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 उपपंजीयक सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 09.01.2015
बमुकदमा उनवानी मिन्टूदेवी बनाम निर्मला देवी वगै. दावा
बाबत खाता बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 09/2014
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोमवीर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अनिल कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध सीकर (झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 7/5/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2014 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से जमीन खसरा नम्बर 684/109 रकबा 1.67 हैक्टेयर वाके ग्राम सेही कलां को वादिया/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व अपीलांट/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 4 को सहखातेदारी की भूमि होना बतलाते हुये इस भूमि का सह खातेदारान के मध्य विभाजन नहीं होना बतलाते हुए आपस में उक्त भूमि का सहमति से बंटवारा के इस भूमि के भू–विशेष भाग पर तारबन्दी व मेड़ बनाकर उस पर अपना कब्जा होना बतलाते हुये खाता विभाजन के लिए विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नम्बर 4/अपीलान्ट ने वादिया/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अजनबी क्रेता बतलाते हुए इस जमीन में किसी प्रकार का हक अधिकार होने या कब्जा होने के तथ्य को इन्कार किया अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 4 ने यह भी स्पष्ट किया कि वादिया/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पति अरूण कुमार शर्मा सुरजगढ़ न्यायालय परिसर में डीड राईटर का कार्य करते हैं जिन्हें कानून के विरूद्ध किसी भूमि के बाबत तस्दीक किये गये विक्रय पत्रों के संबंध में ज्ञान होने से उन्होंने अपनी पत्नी व वादिया/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाकर अपने आपको इस भूमि का कोटिनेन्ट होना बतलाते हुये झुठा दावा दिनांक 17.01.2014 को प्रस्तुत किया गया। उक्त दावा के अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 4 को नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 07.10.2014 को अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के दावा के बाबत घोर आपत्ति की गई। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण नम्बर 2 से 4/रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 4 की ओर से कोई जवाब दावा भी रिकार्ड पर नहीं लिया तथा न दावा में तनकीयात ही कायम किये जाने का कोई प्रयास किया गया। तारीख पेशियां दिनांक 17.01.2014 व 09.01.2015 के अतिरिक्त सभी बीच की तारीख पेशियां पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पिठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होना बतलाते हुये तारीख पेशियों नोट की गई है। अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 4 द्वारा तारीख पेशी दिनांक 07.10.2014 का भी पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने बाबत मोहन लगाई जाकर प्रतिवादी नम्बर 4/अपीलान्ट का जवाब दावा रिकार्ड पर लिया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय के समस्त ऑर्डरशीट के अवलोकन मात्र से दावा में किसी प्रकार की कोई विधिक प्रक्रिया न अपनाई जाकर बिना पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर किसी प्रकार का गोर किये दिनांक 09.01.2015 को अवैधानिक रूप से प्राथमिक डिक्री की गई है। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जैसा कि समस्त आदेशिका से प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 से 4/प्रतिवादीगण नम्बर 2 से 4 की ओर से कोई जवाब देही रिकार्ड पर नहीं ली गई है। यद्यपि अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से दिनांक 07.10.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 4/अपीलान्ट की ओर से अपने जवाब दावा में वादिया/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के दावा के संबंध में घोर लीगल आपत्तियां उठाये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय ने दावा में तनकीयात कायम नहीं की तथा न उभयपक्षकारान की ओर से साक्ष्य ही रिकार्ड पर ली गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर अभिवचनों के आधार पर विवाधक कायम किये जाकर उसके बाद उभयपक्षकारान की साक्ष्य रिकार्ड की जाकर प्रकरण का निर्णय तनकीवार किया जाना चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हैं तथा आनन फानन में अपनी मनमर्जी से पक्षकारान के वकील साहेबान की उपस्थिति गलत रूप से प्रकट करते हुये अपनी मजी से निर्णय गलत देते हुये प्रारम्भिक डिक्री गलत पारित की गई है। जो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादीगण नम्बर 2 से 4/रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 से 4 की ओर से दिनांक 25.02.2014 को वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है परन्तु इन्हें जवाब देही के लिए कोई अवसर दिया जाना प्रकट नहीं होता। इसीप्रकार प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेम राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

नम्बर 1, 5, 6 के नोटिस बाद तामील प्राप्त होना दिनांक 05.08.2014 को प्रकट किया गया है परन्तु पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने बाबत मोहर लगी हुई होने के कारण इनके खिलाफ कोई एकपक्षीय कार्यवाही भी नहीं की गई है तथा न जवाबदेही बन्द किये जाने के बाबत ही कोई आदेश दिया गया है। समस्त आर्डरशीट से प्रकट है कि निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 09.01.2015 पारित किये जाने से पूर्व समस्त विधिक प्रक्रिया का कोई ध्यान रखे जाने की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक दिनांक 09.01.2015 विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। निर्णय/आदेश दिनांक 09.01.2015 के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त निर्णय/आदेश किसी भी दृष्टि से किसी निर्णय/आदेश की परिभाषा में नही आता। उक्त विचाराधीन निर्णय व उसके आधार पर पारित की गई प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार से कानून के नोर्मस के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा ग्राम सेही कलां की भूमि खसरा नम्बर 684/169 सहकाश्तकारी की भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये है। अपीलांट के पास विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपत्ति प्रस्तुत कर चाराजोही करने का अवसर उपलब्ध है। प्राथमिक डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। इसमें अपीलांट गुलझारी प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा दिनांक 07.10.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2014, 04.12.2014, 19.12.2014 एवं 30.12.2014 मोहर लगाकर तारीख पेशी नियत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की गई है। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना दिनांक 09.01.2015 को विचाराधीन निर्णय से बिना किसी विधिक प्रक्रिया के विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर